रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072020-220653
CG-DL-E-23072020-220653

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942
No. 274] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASHADHA 31, 1942

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

F. No.CEA-PS-11-21(21)/3/2020-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 है, ने पारेषण योजना "राजस्थान एसईजेड, भाग – क से एलटीए अनुप्रयोग से सम्बंधित पारेषण प्रणाली"के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं.CEA-PS-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-Iदिनांक 11.06.2019 के द्वारा पारेषण योजना "राजस्थान एसईजेड, भाग – क से एलटीए अनुप्रयोग से सम्बंधित पारेषण प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईन के लिए मेसर्स पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "राजस्थान एसईजेड, भाग – क से एलटीए अनुप्रयोग से सम्बंधित पारेषण प्रणाली" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. अजमेर(पीजी) – फागी(आरवीपीएन) 765 के.वी. डी./सी. लाइन.

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: राजस्थान

क्रम सं	गाँव का नाम	तहसील	जिला
1	नागेलाव, नयागांव, सामला, भलिया, लामाना, दौलतखेड़ा, जेठाना, मोदीनाढ़ी, लालीखेड़ा, डोडियाना, मांगलियावास, फुटलिनारी, मकरेड़ा, केशरपुरा, अर्जुनपुरा खालसा, भगवानपुरा (नाढ़ी), गढ़ी अर्जुनपुरा जागीर, केरियानाड़ा, मेदा काबरिया, कोटाज	पीसांगन	अजमेर
2	सराधना, नाहरपुरा, मियांपुर, तबीजी, लच्छीपुरा, डुमाड़ा, ककलाना, हटूंडी, खाजपुरा, बलवंता, धानी, जटिया, दांतानाडा, दांता	अजमेर	अजमेर
3	भीमपुरा, राजगढ़, चाट, खापरी, राजोसी, नसीराबाद, दिलवाड़ा,दिलवाडी, बैवन्जा, आशापुरा, गादेरी, ढाल, मोडी, लबेरा, मानपुरा, मण्डियानी, राजपुरा, रामपुरा, जिलावड़ा, हरडी (गंगापुर), कानपुरा, कदमपुरा, चांदसेन, नवाब, तिहारी, बनेवडी	नसीराबाद	अजमेर
4	मुण्डोलाव	किषनगढ़	अजमेर
5	हरपुरा, देवपुरी, दादिया, गोपालपुरा, खुंड्या, लाम्बा छोटा, सांदोलिया, झीनी की ढाणी, काला तलाव, कटसूरा, पुरोहितों की ढाणी, अराँई, तेजपुरा, सील, डांग, कल्याणपुरा, खेरा, किशनपुरा, जोगियोंका नाडा, जेलपुर, भामोलाव, भांवसा, सिरोंज, जुगलीपुरा, गोली	अराँई	अजमेर
6	ईटाखोइ, नगरी, कचनारिया, केरिया	दूदू	जयपुर
7	देठानी, कुराड, नगर, सीतापुरा, कुम्हारिया, तुंदेडा, आवड़ा, डोरिया, आखतड़ी, दामोदरपुरा, गूजरों की ढाणी, भोजलाई ढाणी, देवीपुरा, पचेवर, अम्बापुरा, रघुनाथपुरा, पारली, अहीरों की ढाणी	मालपुरा	टोंक
8	मंडावरी, गणेशपुरा, गोपालपुरा, घटियाली, कुडली, हचुकड़ा, मंडावरा, डालनिया, बमवा की ढाणी, कांस्या, छापरी, नारेड़ा, चोरु, नारिखेरा, नारिखेरा की ढाणी, सिरस्या, पालड़ी, लसाड़िया, शंकरपुरा, चकवारा, फागी, पंचाला, आवण्डिया, सुल्तानिया, काग्या, भोजपुरा, गुजरों की ढाणी, सरदाना की ढाणी, लदाना, गोपालपुरा, स्वामी की ढाणी, थोरिया की ढाणी, सफेरा ढाणी, बागा की ढाणी, जाटों की ढाणी, बंजारा की ढाणी, झरला, थला, बसरा, जयचंद का वास, हरसूलिया, मोहनपुरा, चितौरा	फागी	जयपुर

मेसर्स पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है ।अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक को "राजस्थान एसईजेड, भाग – क से एलटीए अनुप्रयोग से सम्बंधित पारेषण प्रणाली"पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 07.12.2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मेसर्स पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./128/2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2020

F. No.CEA-PS-11-21(21)/3/2020-PSPA-I Division.—whereas M/s Powergrid Ajmer Phagi Transmission Limited (PAPTL), the applicant with its registered office at B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi, India-110016, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Construction of Ajmer (PG)- Phagi 765 kV D/C line along with associated bays for Rajasthan SEZ".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No CEA-PS-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division dated 11.06.2019 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Powergrid Ajmer Phagi Transmission Limited for the overhead line covered under the transmission scheme "Construction of Ajmer (PG)- Phagi 765 kV D/C line along with associated bays for Rajasthan SEZ".

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Construction of Ajmer (PG)-Phagi 765 kV D/C line along with associated bays for Rajasthan SEZ." The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Ajmer (PG) –Phagi (RVPN) 765kV D/c line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: RAJASTHAN

Sr. No.	Names of the village	Tehsil	District
1	Nagelav, Nayagaon, Samla, Bhaliya, Lamana, Daulatkhera, Jethana, Modinadi, Lalikhera, Dodiyana, Mangaliyawas, Phutalinari, Makrera, Kesharpura, Arjunpura Khalsa, Bhagwanpura (Nadi), Garhi Arjunpura Jagir, Keriyanada, Meda Ka Bariya, Kothaj	Pisangan	Ajmer
2	Saradhana, Naharpura, Miyapur, Tabiji, Lachhipura, Dumara, Kaklana, Hatundi, Khwajpura, Balwanta, Dhani, Jatiya, Dantanada, Danta	Ajmer	Ajmer
3	Bhimpura, Rajgarh, Chat, Khapari, Rajosi, Nasirabad, Dilwara, Dilwari, Bewanja, Ashapura, Gaderi, Dhal, Modi, Lawera, Manpura, Minyani, Rajpura, Rampura, Jilawara, Harari (Gangapur), Kanpura, Kadampura, Chandsen, Nabab, Tihari, Banewari	Nasirabad	Ajmer
4	Mundolav	Kishangarh	Ajmer
5	Harpura, Devpuri, Dadiya, Gopalpura, Khundya, Lamba Chhota, Sandoliya, Jheni Ki Dhani, Kalatalav, Katsura, Purohiton Ki Dhani, Arain, Tejpura, Shil, Dang, Kalyanpura, Khera, Kishanpura, Jogiyon Ka Nara, Gelpur, Bhamolav, Bhavasa, Sironj, Jugalipura, Goli	Arain	Ajmer
6	Itakhoi, Nagari, Kachnariya, Keriya	Dudu	Jaipur
7	Dethani, Kurar, Nagar, Sitapura, Kumariya, Thundera, Avada, Doriya, Akhtari, Damodarpura, Gujaron Ki Dhani, Bhojolai Dhani, Devipura, Pachewar, Ambapura, Raghunathpura, Parli, Ahiron Ki Dhani	Malpura	Tonk
8	Mandawari, Ganeshpura, Gopalpura, Ghatiyali, Kundli, Hachukara, Mandawara, Dalniya, Bamwa Ki Dhani, Kansiya, Chhapri, Nareda, Choru, Narikhera, Narikhera Ki Dhani, Sirsiya, Palri, Lasariya, Shankarpura, Chakwara, Phagi, Panchala, Awandiya, Sultaniya, Kagya, Bhojpura, Gujran Ki Dhani, Saradana Ki Dhani, Ladana, Gopalpura, Swami Ki Dhani, Thoriya Ki Dhani, Saphera Dhani, Baga Ki Dhani, Jatan Ki Dhani, Banjara Ki Dhani, Jharla, Thala, Basra, Jaichand Ka Was, Harsuliya, Mohanpura, Chitora	Phagi	Jaipur

M/s Powergrid Ajmer Phagi Transmission Limited had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Powergrid Ajmer Phagi Transmission Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Construction of Ajmer (PG)- Phagi 765 kV D/C line along with associated bays for Rajasthan SEZ". The details of the works are published in the Gazette of India dated 07.12.2019.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vii) M/s Powergrid Ajmer Phagi Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P.C. KUREEL, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./128/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.07.23 20:55:46 +05'30'